COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA

143

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 पुर्नविलोकन निगरानी 2017/II/16

श्री आर. पी. ... द्वारा आज दि. 24/6/16 को प्रस्तुत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. शशि बाई बेबा हरी सिंह
2. शुभम
3. लकी पुत्रगण हरी सिंह नावालिग सरपरस्त माता शशि बाई
4. नेहा
5. शिवानी पुत्रियां हरी सिंह नावालिग सरपरस्त माता शशिबाई
6. बल्लो बाई पुत्री खूब सिंह अहिरवार

समस्त निवासीगण – तिरंगा चौराहा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

आफको रियल स्टेट इंडिया प्रा.लि. सिरोंज द्वारा डायरेक्टर

1. अतहर कुरैशी पुत्र श्री सना मोहम्मद कुरैशी
2. कयूम मंसूरी पुत्र श्री अब्दुल करीम मंसूरी निवासीगण चूडी मोहल्ला गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
3. खेमचन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द्र
4. खिलान सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
5. चरण सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
6. गोविन्द सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
7. लाखन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र मृत वारिसान

ए– राजबाई बेबा पत्नी श्री लाखन सिंह

बी– राजेन्द्र, सी – पूजा डी – रोशनी

रिवू. 2017/16

2

ई– रवीन्द्र , एफ – विक्की सभी पुत्र एवं पुत्री पिता श्री लाखन सिंह नावालिग द्वारा सरपरस्त मॉ राजबाई पत्नी श्री लाखन सिंह

8. केशरबाई पुत्री मूलचन्द्र मृत वारिसान

ए– जुगल पुत्र भगवानदास

बी– पवन पुत्र भगवानदास

सी– अरविन्द पुत्र भगवानदास

डी – जूली पुत्री भगवानदास

9. फूल्लो बाई पुत्री मूलचन्द्र

10. प्रेमबाई पुत्री मूलचन्द्र

11. कोमल बाई पुत्री मूलचन्द्र

12. राजबाई पुत्री मूलचन्द्र
निवासीगण तिरंगा चौराहा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

13. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र भू राजस्व संहिता न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3315/ 1/ 15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरूद्व पुर्नविलोकन।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निम्न प्रकारर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हे।

2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 636/ अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक

R/ 12

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2017–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3315–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 19–5–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत पेश किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति लेना आवश्क था परंतु मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गई है । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है अतः इसी आधार पर कि आलोच्य आदेश पुनरावलोकन योग्य है । आवेदकों की ओर से जो अन्य आधार पुनरावलोकन में दिए गए हैं उन पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि आलोच्य आदेश के पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः आवेदकों की ओर से प्रस्तुत यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3315–एक/15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19–5–16 वापिस लिया जाकर उक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं । पक्षकार सूचित हों । (हस्ताक्षर) सदस्य	